

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (1).

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

.....

New Delhi, the 26th July, 1999.

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies, -

- (a) the tax-free Housing & Urban Development Corporation Limited Bonds (Series XII-A) bearing distinctive numbers from 57156 to 70155 of rupees one lakh each carrying an interest of 10% per annum payable half-yearly for a period of seven years of the aggregate value of rupees one hundred thirty crores only ; and
- (b) the tax-free Housing & Urban Development Corporation Limited Bonds (Series XII-B) bearing distinctive numbers from 70156 to 73655 of rupees one lakh each carrying an interest of 10.25% per annum payable half-yearly for a period of ten years of the aggregate value of rupees thirty five crores only,

issued by Housing & Urban Development Corporation Limited, New Delhi for the purpose of the said item :

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his/her name and the holding with the said Corporation.

भारत के राष्ट्रपति आवाधार, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड [iii] में पुनर्नाम

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई, 1999

अधिसूचना
[आयकर]

सं.ज. [अ] आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 10 के खण्ड [15] के उपखण्ड [ii] की मद [ज] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सरकार द्वारा उपर्युक्त मद के प्रयोजनार्थ आठवें एवं गहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए निम्नलिखित बॉन्डों को विनिर्दिष्ट करती है :-

[क] कुल एक सौ तीस करोड़ रुपये मात्र मूल्य के सात वर्ष की अवधि के 10% प्रति वर्ष अर्ध वार्षिक रूप से देय ब्याज वाले प्रत्येक एक लाख रुपये के 57156 से 70155 तक की विनिर्दिष्ट संख्याओं वाले कर मुक्त हाजीरिंग बंड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड [सूचकांक II-क]; और

[ख] कुल पैंतीस करोड़ रुपये मात्र मूल्य के दस वर्ष की अवधि के 10-25% प्रति वर्ष अर्ध वार्षिक रूप से देय ब्याज वाले प्रत्येक एक लाख रुपये के 70156 से 73655 तक की विनिर्दिष्ट संख्याओं वाले कर मुक्त हाजीरिंग बंड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड [सूचकांक II-ख]

बताते कि उपर्युक्त मद के अन्तर्गत साम सभी ग्राह्य होंगा यदि ऐसे बॉन्डों का धारक अपना नाम और धीरे उपर्युक्त निगम के पास पंजीकृत करता है।

अधिसूचना सं० 10994

समर मंडे

समर मंडे

अवर सचिव, भारत सरकार

[सं.सं. 178/17/99-आई टी ए II]

सेवा में,